



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी०सी०पी०एन०डी०टी० सैल
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : रा० पी० प्र०/एल.ए./एसएसबी/2016/ 1131

दिनांक : 2/12/2016

समस्त जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी)
एवं जिला कलेक्टर महोदय राजस्थान।

समस्त जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।

समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी
एवं जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
(जरीये जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी)

विषय :- राज्य स्तरीय दल के ठहरने एवं खाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांगत लेख है कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ के निरीक्षण दल/राज्य टीम को जिले में निरीक्षण, आसूचना एकत्रित करने, परिवाद पेश करने, माननीय न्यायालय में इल्लता पेश करने हेतु एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विभिन्न याचिकाओं में उपस्थिति देने, प्रभावी पैरवी एवं पैरवी में सहयोग देने हेतु लगातार उपस्थित होना पडता है। इस बाबत ठहरने/खाने की व्यवस्था में होने वाले समस्त व्यय का पुर्नभरण पीसीपीएनडीटी नियम 1996 की धारा 5 (2) के तहत जिले में प्राप्त होने वाली रजिस्ट्रेशन/रीनिवल की राशि से किया जाना सुनिश्चित करावें।

विशिष्ट शासन सचिव (प०क०) एवं
मिशन निदेशक (एनएचएम)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं विशिष्ट शासन सचिव (चि०,स्वा० एवं प.क.), जयपुर।
2. निजी सहायक निदेशक (आरसीएच) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
3. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं उप निदेशक (आरसीएच) (चि०,स्वा० एवं प.क.), जयपुर।
4. समस्त जिला समन्वयक (पीसीपीएनडीटी) राजस्थान को पालनार्थ।
5. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव (प०क०) एवं
मिशन निदेशक (एनएचएम)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर।